तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
27.06.23	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गयी। बावजूद आवाजें दिलाने के अनुपस्थित रहने के विपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील वादीगण के पत्रावली पर बहस सुनी गयी। आदेश अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार गुड़ामालानी को मय तहरीर प्रेषित हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णय सुनाए होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 61/2023

प्रार्थीनी :–

1. सीमांकंवर पत्नी नरेन्द्रसिंह
   जाति राजपूत निवासी भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला वाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. पुखराज पुत्र हरीराम
2. चतरूदेवी पत्नी मदनलाल
3. हरीराम पुत्र सोनाराम
4. राणाराम पुत्र किस्तूराराम
   जाति माली निवासी भाखरपुरा
5. नरेन्द्रसिंह पुत्र खंगारसिंह जाति राजपूत निवासी भाखरपुरा
6. नवाराम पुत्र मनजीराम
7. प्रहलादराम पुत्र मनजीराम
8. श्रवणकुमार पुत्र मनजीराम
9. पेम्पोदेवी पत्नी मनजीराम
10. बाबूराम पुत्र मानाराम
11. आदू पुत्र माना
12. मोडू पुत्र कुस्टा
13. गवरी पत्नी कुस्टा
14. घमण्डाराम पुत्र मोबाराम
15. खीमा पुत्र मोबा
    जाति भील निवासी भाखरपुरा
16. सांवलाराम पुत्र चेनाराम
17. शंकराराम पुत्र चेनाराम
18. चांपाराम पुत्र चेनाराम
19. ओखाराम पुत्र चेनाराम
20. प्रभी पत्नी चेनाराम
21. गुणेशा वल्द गुमना
    जाति कलबी निवासी भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी जि‍ा बाड़मेर
22. ग्राम पंचायत भाखरपुरा पंचायत समिति गुड़ामालान
23. बी.सी.सी.बी. बैंक शाखा प्रबन्धक गुड़ामालानी
24. एस.बी.आई. बैंक शाखा गुड़ामालानी
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित

1. **श्री ओमप्रकाश विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीनी**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 27.06.2023

प्रार्थीनी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

हमने प्रार्थीनी के विद्वान अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश विश्नोई की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा भाखरपुरा पटवार क्षेत्र भाखरपुरा के खेत खसरा नम्बर 77 रकबा 3.0594 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीनी की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीनी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि मौजा भाखरपुरा पटवार क्षेत्र भाखरपुरा के खेत खसरा नम्बर 77 रकबा 3.0594 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 27/06/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

क्रमांकः वाद/2023/ 698 दिनांक : 27.06.23

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

सीमाकंवर **पुखराज वगैरा**

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी</u>

राजस्व आवेदन सं......61/2023.. निर्णय दिनांक :– **27.06.2023**

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम **भाखरपुरा** के खेत खसरा नम्बर 77 रकबा 3. 0594 हैक्टेयर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु **तहसीलदार....गुड़ामालानी**.....को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींश रूपये ....500/–...प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
गुडामालानी

क्रमांकः वाद/2023/ 699 दिनांक : 27/6/23
प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुड़ामालानी
2. थानाधिकारी..........गुड़ामालानी
3. हल्का पटवारी....भाखरपुरा.. को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थीगण.........सीमांकवर पत्नी नरेन्द्रसिंह राजपूत भाखरपुरा
5. विप्रार्थीगण.....पुखराज वगैरा....

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
गुड़ामालानी